न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 107/2019
निर्णय दिनांकः– 12.02.2021

1. सुवा पुत्र जगन्नाथ जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1. **तुलसीराम पुत्र जयनारायण** जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रामकरण पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामकरणी पुत्री जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक
4. रामजगदीश पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक
5. रामजोध्या पुत्री जयनारायण जाति मीना निवासी नाहरी तहसील उनियारा जिला टोंक
6. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री कन्हैयालाल ठाड़ा वकील प्रार्थी
श्री प्रेम चन्द जैन वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से अपनै खातेदारी की आराजी पर ख0न0 642 रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम नाहरी पर से होकर आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा यही रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता है, जिससे आने जाने का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने पर आमाद है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 642 की मेड के सहारे 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट मौके पर आराजी ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा में आने जाने के लिए ख0न0 640 व 642 की मध्य की मेड के समीप ख0न0 642 मे से होकर आम रास्ता तक हो सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। दुसरा रास्ता ख0न0 640 व 642 की मध्य की मेड से होकर भी हो सकता है। तथा तिसरा रास्ता ख0न0 6444 व 642 की मध्य की मेड के समीप ख0न0 642 मे से होते हुए ख0न0 643 से होकर हो सकता है।

S.Re.251a.130

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा पर आने–जाने के लिए पुर्व की भांति आराजी ख0न0 642 की मेड के सहारे 20 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ख0न0 642 से होकर कभी नही गया । ख0न0 642 मे होकर जाने जाने का कोई रास्ता भी मौके पर नही है व शीट मे भी नही हैं। ख0न0 642 के चारो ओर पूर्वजों के समय से चीरे गाडकर तारकसी कर रखी हैं, जिससे प्रार्थी को रास्ता दिया जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी अपने खेत पर ख0न0 655 रकबा 642 व 640 की मेड पर होकर आता जाता है। अत0 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 वाके नाहरी खाता संख्या 157 ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 सुवा पुत्र जगन्नाथ जाति मीना या. देह के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 655 रकबा 2.51 है0 पर आने–जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता दर्ज नही है। तहसीलदार उनियारा के रिपोर्ट अनुसार उनियारा 640 व 642 की मध्य की मेड के समीप ख0न0 642 मे से होकर आम रास्ता तक हो सकता है। यह रास्ता सबसे छोटा रास्ता है। जो उपयुक्त है। वर्तमान मे तारबंदी करने के कारण प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता न्यायोचित प्रतित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को खातेदारी भूमि ख0न0 655 में आने–जाने के लिए ख0न0 642 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 4 मीटर चोडा रास्ता दिया जाकर तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त रास्ते कि लम्बाई, चौडाई नाप कर राजस्थान स्टाम्प नियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि कीमत की दौ गुनी राशि अप्रार्थीगण को दिया जावे। उक्त आदेशानुसार रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाये। रास्ता सिर्फ प्रार्थी के लिये उपयोग हेतु नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा